राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1265/2024

डॉ. निर्मला कुमारी —**अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, राजमेस मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, श्री कल्याण राजकीय मेडिकल कॉलेज, सीकर।
4. डॉ. प्रियंका धनकड़, सहायक आचार्य, निश्चेतन, मेडिकल कॉलेज, चूरू।

—**प्रत्यर्थीगण**

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.03.2024
आदेश की दिनांक : 26.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक आचार्य के पद पर निश्चेतन मेडिकल कॉलेज, सीकर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से मेडिकल कॉलेज, चूरू किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी ने सीधी भर्ती द्वारा चयन उपरांत दिनांक 03.07.2021 को सहायक आचार्य के पद पर कार्यग्रहण किया और सेवा नियमों के अंतर्गत स्थानान्तरण करने का कोई प्रावधान नहीं है। अपीलार्थी का नियोक्ता अधिकारी भी चैयरमैन होता है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया है। उसका स्थानान्तरण बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है। राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 के

नियम 16(2) में यह प्रावधान है कि संविदा पर नियुक्त कार्मिक का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा। फिर भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला सीकर से जिला चूरू किया गया है, जो उक्त नियमों एवं विधि के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन सहायक आचार्य के पद पर निश्चेतन मेडिकल कॉलेज, सीकर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से मेडिकल कॉलेज, चूरू किया गया है। नियुक्ति आदेश दिनांक 12.02.2021 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सहायक आचार्य के पद पर नियुक्त किया गया है और जिसमें नियुक्ति शर्तें भी लिखी गई हैं परंतु ऐसा कहीं उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी को लम्बे समय अंतराल बाद प्रशासनिक आधार पर जनहित को ध्यान में रखते हुये स्थानान्तरण किया गया है और किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार हमारे मत में आलोच्य आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना प्रकट नहीं होता है। अतः अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण ग्राह्यता के प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य